है । कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों को, मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठकें तथा जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का परामर्श दिया गया है ।

राज्य सरकारों ने सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण करने तथा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं । उन्होंने दंगा-पीड़ितों हेतु राहत तथा पुनर्वास के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और अपनाए हैं ।

राज्य सरकारों ने समूह "(ग)" तथा "घ" पदों के प्रतिनिधियों की भर्ती के लिए (जहां उचित या संभाव्य हो) चयन समितियां बनाने के आदेश जारी किए हैं ।

राज्य सरकारों ने, अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करने तथा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुंचाने का मूल्यांकन करने के लिए संस्थागत प्रबन्ध किए है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, रेल मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा बैंकिंग विभाग के समूह "ग" तथा "घ" पदों के प्रतिनिधियों के लिए चयन समिति बनाने के अनुदेश जारी किए हैं श्रम मंत्रालय ने, राज्य सरकारों को, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चलते-फिरते रोजगार यूनिटों के दरों की व्यवस्था तथा जहां कहीं संभव हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ बनाने की सलाह दी थी ।

यद्यपि, प्रगति का वास्तव में सही परिमाण बताना संभव नहीं है, तथापि राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त जागरूकता है ।

Affairs of N.D.D.B.

2134. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether NDDB is a statutory body and it has its own service rules, Recruitment Rules, transfers and appointments policies and parameters in line with Government and other statutory bodies and if not, reasons thereof;

(b) whether Government are aware that contrary to all Government policies and procedures, NDDB/IDC staff are being posted on 'lien' to private institutions such as Kaira District Co-operative Milk producers' Union Anand and vice-versa;

(c) whether all appointments/transfers/recruitments including Chairman and Board will be made strictly in consonance with Government rules and procedures; and

(d) whether new Board of Directors and Chairman for statutory board created under NDDB Act, 1987 have been appointed and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 provides that the Board may make regulations *inter-alia* regarding conditions of service of officers and other employees. However, under Section 18 of the NDDB Act, every full time officer or other employee, holding office immediately before the appointed day, in the society (NDDB) or the dissolved company (Indian Dairy Corporation), shall, on and from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the NDDB on the same terms and conditions of service as he would have had under the society or the dissolved company, as the case may be, and shall continue to do so, unless and until his terms and conditions of services are duly altered by the Board.

(b) NDDB have reported that they are deputing employees to co-operative unions and it is not contrary to the normal procedures.

(c) and (d) The proposals for the appointment of the Chairman and Members of the Board under Section

8 of the NDDB Act, 1987 are under consideration.

Appointment of the Secretary of NDDB

2135. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Secretary of statutory National Dairy Development Board is a highly professional position;

(b) whether it is a fact that the present Secretary neither has the qualifications nor any background in senior position; and

(c) whether it is also a fact that the present Secretary has been installed without any recruitment policies and without Government's clearance after removal of the previous permanent Secretary who has been downgraded?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) With the coming into force of the National Diary Development Board Act, 1987 w.e.f. 12-10-1987, the National Dairy Development Board, Anand has been declared an institution of national importance and does not have a position of Secretary. However, under Section 18 of the NDDB Act, every full-time officer or other employee, holding office immediately before the appointed day, in the society (NDDB) or the dissolved company (Indian Dairy Corporation), shall on and from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the NDDB on the same terms and conditions of service as he would have had under the society or the dissolved company, as the case may be, and shall continue to do so, unless and until his terms and conditions of service are duly altered by Board.

(b) and (c) The appointment of Secretary of the erstwhile NDDB was made, after considering the suitability of the individual by the Board, who were competent in the matter.

शिवाजी कोआपरेटिव सोसाइटी में हेराफेरी

†2136. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर 1988 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली छावनी की एक सोसाइटी "शिवाजी कोआपरेटिव सोसाइटी" का सदस्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसे संबंध मे समाचार पत्र के मुताबिक तथ्य कहां तक सही हैं और क्या यह सच है कि चैक का इन्दराज सोसाइटी के लेखाओं में वास्तव में नहीं किया गया है ; और

(ग) सोसाइटी के धन की हेराफेरी होने के संबंध में तथ्य क्या हैं और इसका निवारण किस प्रकार किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली कोआपरेटिव सोसायटीज अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अन्तर्गत एक जांच-कार्य चलाया गया था, जिसमें जांच अधिकारी ने पुष्टि की है कि सोसाइटी भूतपूर्व कार्यालय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर निधियों का दुरुपयोग किया गया था। यह भी ठीक है कि सदस्यों से एकत्र किए गए चैकों को सोसायटी के लेखे में दर्ज किया गया था 10,45,110/-रुपये तक की सीमा तक निधियों का दुरुपयोग किया गया था जिसमें से 3,30,3 0/-रुपये की राशि अब सोसायटी के भूतपूर्व कार्यालय अधिकारियों द्वारा जमा करा दी गई है। कार्यालय अधिकारियों से आवश्यक वसूली करने के लिए उन पर ऋण देयता निर्धारित करने

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1504, 10 मई, 1988 से स्थानान्तरित।